

डिक्री व मुकदमें ईलादाई
अ.आदेश 20 नियम 6 7 व्या प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 161/2023

ईमीलाल पुत्र दुलीचंद जाति कुम्हार निवासी किशनपुरा उत्तराधा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़ (राज.)

बनाम



वादी

1. आमप्रकाश पुत्र हेतराम जाति जाट
2. दोलायाम पुत्र हेतराम जाति जाट
3. रुपा पुत्र जीवन जाति कुम्हार
4. राजकमल पुत्र रामनारायण जाति विश्नोई
5. राजकुमार पुत्र रामनारायण जाति विश्नोई
6. लाधु पुत्र तुलछा जाति विश्नोई
7. श्रवण कुमार पुत्र हेतराम जाति जाट
8. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा सादुलशहर
9. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

निवासीगण किशनपुरा उत्तराधा
तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़ (राज.)

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 24.05.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरु हमारे बहाजरी श्री सुशील कुमार अभिभाषक वादी मिन जामिन मुदई व एकपक्षीय वकील प्रतिवादीगण पेश होने पर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया के पत्रांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/1625 दिनांक 09.05.2024 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा सहमति देने पर वादी का वादपत्र मुताबिक खाता विभाजन अन्य सहकाशतकारों अन्तिम डिक्री किया जाता है। चक नं. 11 पी.टी.पी. खाता सं. 74/58 में कुल रकबा 11.258 है. में मौके पर कब्जा काशत की स्थिति :-

1. ईमीलाल पुत्र दुलीचंद जाति कुम्हार सा. किशनपुरा उत्तराधा रहिन पीएनबी बैंक शाखा सादुलशहर प.नं. 121/130 मु.नं. 14 कि.नं. 17 ता 19/0.253 है.प्र., 22ता25/0.253 है.प्र. प.नं. 121/131 मु.नं. 21 कि.नं. 2ता5/0.253 है.प्र., 7,8,13,18/0.253 है.प्र. कुल रकबा 3.795 है. नहरी।
2. राजकमल पुत्र रामनारायण 1/2 हि. जाति विश्नोई सा. किशनपुरा उत्तराधा पी.एन.बी. शाखा सादुलशहर राजकुमार पुत्र रामनारायण 1/2 हि. जाति विश्नोई साकिन किशनपुरा उत्तराधा रहिन पी.एन.बी. शाखा सादुलशहर प.नं. 120/132 मु.नं. 25 कि.नं. 2/1/0.228 है. 2/2/0.025 है.गै.मु.खाला, 3/1/0.228, 3/2/0.025 है.गै.मु., 4/1/0.228, 4/2/0.025 है.गै.मु.खाला, 5/1/0.202 है. 5/2/0.025 है.गै.मु. खाला 5/3/0.026 है.गै.मु. रास्ता, 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.गै.मु.रास्ता,

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

कि.नं. 7,8,9,11,12,13,14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.गै.मु. रास्ता, 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.गै.मु.रास्ता, 17 ता 20/0.253 है.प्र., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.गै.मु. रास्ता, प.नं. 121/132 मु.नं. 24 कि.नं. 1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है.गै.मु.खाला, 2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.गै.मु. खाला, 10,11/0.253 है.प्र. कुल रकबा 6.325 है. नहरी मय गै.मु.।

3. औमप्रकाश पुत्र नेतराम 1/3 हि. जाति जाट साकिन किशनपुरा उत्तराधा दौलतराम पुत्र हेतराम 1/3 हि. जाति जाट साकिन किशनपुरा उत्तराधा, श्रवण कुमार पुत्र हेतराम 1/3 हि. जाति जाट साकिन किशनपुरा उत्तराधा प.नं. 121/131 मु.नं. 21 कि.नं. 12/2/0.126 है. 19ता22/0.253 है.प्र. कुल रकबा 1.138 है. नहरी।

उक्तानुसार खाता विभाजन कर रकमराज अलग से कायम की जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे व अन्य प्रतिवादीगण का नाम कब्जा कीमत के अभाव में नियमानुसार कलमजन किये जावे।

नोट :-यदि डिक्रीत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक हक-हिस्सा किया जावे।

निज...~~निल~~...~~मुब्लिक~~...~~निल~~...~~बाबत~~...~~निल~~...~~खर्चा~~ मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...~~को~~ अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24.5.2024 को जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

